



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 787) पटना, बुधवार, 15 सितम्बर 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2021

सं० 11न०वि० ट्रिब्यु (विविध) अध्यक्ष-38/2019-424/न०वि०आ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-329(5) में अंकित प्रावधान के अनुसार बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त एतद् द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

- (i) बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व अध्यक्ष द्वारा धारित पद के विरुद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

- (ii) बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के सदस्य को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के सदस्य के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व सदस्य द्वारा धारित पद के विरुद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

- (iii) बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम सेवा अवधि योगदान की तिथि से 03 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक, दोनों में जो पहले हो, होगी।
- (iv) विभागीय अधिसूचना संख्या-185, दिनांक-28.01.2014 में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के सदस्य की अधिकतम सेवा अवधि योगदान की तिथि से 03 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक, दोनों में जो पहले हो, होगी।

fcgkj&jkT;iky di vkn'k l j
jke lod i lkn,
l jdkj di voj l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 787-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>